HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1666/2022

Pawan Singh S/o Sh. Surendra Kumar, R/o Padmara Khurd Tehsil Mundawar District Alwar

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Munshiram S/o Sh. Prahlad, R/o Padmada, Police Station Khurd, Police Station Mundawar District Alwar.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Prasad Yadav Ms. Anisha Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, PP Mr. Atul Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

22/04/2026

याची/अभियुक्त **पवनसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–397 द0प्र0सं0, विचारण न्यायालय–**अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मुण्डावर, जिला अलवर (राजस्थान)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**116/2018,** उनवानी प्रकरण सरकार **बनाम** जले सिंह एवं अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **29.06.2022**, जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा याची/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 324, 325 व 307 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित किये गये थे, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

याची/अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.05.2022 में स्पष्ट तौर पर माना है कि किसी भी मजरूब द्वारा याची/अभियुक्त पवन के विरूद्ध चोट मारने के कथन

नहीं किये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा याची/अभियुक्त पवन सिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान आदेश पारित करते हुए हवासिंह को तलब किए जाने के आदेश किए गए हैं तथा आदेश दिनांक 29.06.2022 द्वारा हवासिंह का नाम दुरूस्त करते हुए पवन सिंह को जरिए जमानती वारण्ट तलब किए जाने का आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि पवन सिंह के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं रही है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 एवं 29.06.2022 अपास्त किये जाकर याची/अभियुक्त पवन सिंह को आरोपित अपराधों से उन्मोचित (Dis-charge) किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने इसका विरोध कर प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों–वितर्कों पर विचार किया, पत्रावली एवं आलौच्य आदेश दिनांक 11.05.2022 एवं 29.06.2022 का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2022 के अवलोकन से प्रकट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पवन सिंह के विरूद्ध किसी भी आहत द्वारा चोट कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी पवन सिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर हवा सिंह को तलब किए जाने के आदेश दिए हैं, तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2022 में टंकण त्रुटि को दुरूस्त करते हुए पवन सिंह को तलब किए जाने के आदेश दिए हैं, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त संबंध में स्पष्ट एवं सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण के उपरोक्त सभी तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि. 11.05.2022 एवं 29.06.2022 अपास्त किए जाने एवं प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है।

परिणामतः याची/अभियुक्त पवन सिंह की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2022 एवं 29.06.2022 को अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित

करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त संक्षिप्त कारणों सहित पुनः विधिनुसार नये सिरे से आदेश पारित करें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /69